

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 10 1 FEB 2022


आदेश

विषय: Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 29-12-2021.

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश की निरन्तरता में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 30-9-2021 तक के चिकित्सा दावे स्वीकार करने की अवधि दिनांक 31-03-2022 तक बढ़ाई जाती है।

यह आदेश पेंशनर्स के दिनांक 30-9-2021 तक के चिकित्सा दावों के निस्तारण हेतु भी प्रभावी होगा।



(सुधीर कुमार शर्मा)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर



(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 06 / 2022)